भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2102

सोमवार, 5 अगस्त, 2024/14 श्रावण, 1946 (शक)

काजू श्रमिकों के लिए ईएसआई लाभ

2102. श्री कोडिकुन्नील सुरेश:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का काजू श्रमिकों, जो केरल राज्य में काजू प्रसंस्करण कारखानों के बंद होने से प्रभावित हैं, को न्यूनतम उपस्थिति आवश्यकता की वर्तमान रोजगार स्थिति के होते हुए भी ईएसआई उपचार लाभ प्रदान करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (ग): कर्मचारी राज्य बीमा (ईएसआई) योजना के अंतर्गत बीमित सभी काजू कामगार तथा उनके परिवार के सदस्य अपनी पात्रता शर्तों के अनुसार चिकित्सा लाभों सहित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के अंतर्गत उपलब्ध लाभ प्राप्त करने के पात्र हैं। यह अधिनियम मौसमी कारखानों को छोड़कर उन सभी कारखानों और प्रतिष्ठानों पर लागू होता है, जिनमें दस या अधिक कर्मचारी हैं, जिनका वेतन 21,000/- रुपए (निःशक्त व्यक्तियों के लिए 25,000/- रुपए) तक है।

ईएसआई योजना बीमित कामगारों को चिकित्सा देखभाल और अन्य लाभ प्रदान करती है, जिसे नकद लाभ कहा जाता है। कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम, 1950 के अंतर्गत किए गए प्रावधानों के अनुसार नकद लाभ कतिपय अंशदायी और अन्य पात्रता शर्तों जैसे रोजगार की न्यूनतम अवधि, देय न्यूनतम अंशदान अथवा सक्रिय रोजगार स्थिति आदि से जुड़े होते हैं।
